डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर
Dedicated Freight Corridor

तेज हवा/असामान्य हवा के दौरान डीएफसी पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के संचालन में बरती जाने वाली सावधानियां

1. **हवा के वेग को मापने के लिए सभी स्टेशनों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर ज़मीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर एनीमोमीटर लगाया जायेगा।**

2. **जब एनीमोमीटर द्वारा हवा का वेग 50 किमी प्रति घंटे से ऊपर मापा जाता है, तो स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक अलार्म सिग्नल/बजर बज जाएगा और इस अलार्म/बजर के बजने पर, ड्यूटी पर तैनात निम्नानुसार कार्य करेगा:**

क. वह तुरंत ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर और निकटवर्ती स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को असामान्य हवा की स्थिति और ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के तहत सूचित करेगा।

ख. हवा की गति 50 किलो मीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों को ना तो चलाएगा और ना ही आने की अनुमति देगा और अपने स्टेशन के लिए निकटवर्ती स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही किसी भी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों को लाइन क्लियर नहीं देगा। स्वचालित ब्लॉक प्रणाली और आईबीपी को नियंत्रित करने वाले स्टेशन पर काम करने वाले स्टेशन मास्टर किसी भी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को अगले स्टेशन / आईबीपी की ओर ब्लॉक सेक्शन में नहीं भेजेंगे।

ग. स्टेशन मास्टर जहां तक संभव हो मध्य खंड में चल रही डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के लोको पायलट और ट्रेन प्रबंधकों को हवा के वेग के बारे में सूचित करने के लिए संचार के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा। ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर ट्रेन की गति कम कर देंगे और ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करने के लिए ट्रेन को 30 किमी प्रति घंटे की गति से चलाएंगे और ट्रेन को निकटतम स्टेशन / यार्ड पर स्थिर किया जाएगा।

घ. डबल लाइन सेक्शन पर यदि कोई डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सेक्शन क्लियर कर रही है तो स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन के माध्यम से किसी भी ट्रेन को उस दिशा की ओर जाने की अनुमति नहीं देगा, जहां से डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन डबल लाइन पर सेक्शन क्लियर कर रही है, जब तक कि स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित न कर ले के डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सभी कंटेनरों के साथ पूरी तरह से आ गई है।

ङ. जब हवा की गति 50 किमी प्रति घंटे से अधिक हो और डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो, तो स्टेशन मास्टर उस डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को नहीं चलाएगा। स्टेशन मास्टर जिस लाइन पर यह डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन खड़ी है, उसके निकट की किसी भी लाइन से किसी अन्य ट्रेन की आवाजाही की अनुमति नहीं देगा। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के अलावा अन्य ट्रेनों को 30 किमी प्रति घंटे की प्रतिबंधित गति से गैर निकटवर्ती लाइन से गुजरने की अनुमति दी जा सकती है।

च. ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर और निकटवर्ती स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर के परामर्श से हवा की गति खतरे के स्तर से नीचे आने पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों का सामान्य संचालन फिर से शुरू किया जाएगा।

3. **तूफान और तेज हवाओं के दौरान गाड़ियों के परिचालन में सावधानियां - चक्रवात, तूफान या तेज हवाओं के चेतावनी संदेश के मामलों में भविष्यवाणी होने पर स्टेशन मास्टर, सेक्शन नियंत्रक/गाड़ी के इंजन ड्राइवर के साथ परामर्श कर गाड़ी को रोकने और उस स्टेशन की ओर आने वाली गाड़ियों को लाइन क्लियर नहीं देगा जब तक कि तूफान धीमा न हो गया हो और उसके विचार में गाड़ियों का आवागमन सुरक्षित है;**

इसके अलावा, स्टेशनों के बीच गाड़ी के परिचालन के दौरान यदि इंजन ड्राइवर के विचार में गाड़ी की सुरक्षा को खतरा पैदा होने की संभावना है। तब वह तुरंत ही गाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा और सबसे पहले आने वाले सुविधाजनक स्थान पर इसे रोकेगा, ध्यान रखेगा, जहां तक संभव हो, गाड़ी को तीव्र मोड़, उच्च तटबंध और पुलों (इनके निकटतम स्थान सहित) पर रोकने से बचेगा। वह तूफान के धीमे होने पर और उसके विचार में गाड़ियों का परिचालन सुरक्षित होने की दशा में ही, इसे पुनः चलाएगा।